

DR. No. J-2019

10

विषय: [ ] के लिए  
STATEMENT OF IMMOWABLE PROPERTY FOR THE YEAR **2018** AS ON **01-01-2019**

आधिकारी का नाम: **Harsh Vaidya, IDAS** वर्तमान वेतन: **RS. 1,77,400/- (Level-14)**  
Name of the officer: Present Pay

प्रेषण का नाम जिसमें अधिकारी संबद्ध है: **IDAS**

वर्तमान पद: **DIRECTOR**  
Present Post held:

1. जिला, सब डिविजन, अधिसूचना और शीट का नाम जहाँ सम्पत्ति है Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated.	2. संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भूखण्डों आदि का नाम व विवरण Name and details of property, Housing lands & other buildings	3. वर्तमान मूल्य Present Value	4. यह संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है तथा इससे सम्बन्धी सम्पत्ति का वर्णन क्या है ? If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servant.	5. सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या खरीदी, मरते पर ही गई, वंशगत, उपभोग, उपहार, अन्य किराया आदि के द्वारा ? How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	6. सम्पत्ति से आबंटित आय Annual Income from the property.	7. टिप्पणियाँ Remarks
Hazari Pahad, Nagpur	3BHK Flat 405, Pioneer Area valley Hazaripahad Nagpur	Not known	—	By purchase	—	—
Mauja Jotpur Jabalpur (M.P.)	Agricultural Land	Not known	Ancentral Property (1/3 <sup>rd</sup> share)	Inheritance	—	—

1. यदि सही नहीं है, उसे काट दिया जाए। Inapplicable clause to be struck out.  
2. यदि मूल्य का सटीक आकलन संभव नहीं है, तो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।  
In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present conditions may be indicated.  
3. \* आवासीय भूखण्डों पर भी लागू है। Includes short term lease also.

टिप्पणी: घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय विधि सेवा (अवकाश नियमन, 1964 के नियम 18(1) के अंतर्गत सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी- II (वर्ग-2) एवं वर्ग (वर्ग) के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अवकाश पर भरा जाए जिसमें उपरोक्त नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, कर्तृ पर की गई आधक वंशक संपूर्ण अथवा संपत्ति का वितरण दिया गया हो।

Note: The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

**Harsh Vaidya**  
हस्ताक्षर/Signature

15